भारत सरकार
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं 339
(दिनांक 09.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आर्सेनिक और फ्लोराइड से संदूषित पानी से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे

339. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में आर्सेनिक और फ्लोराइड से संदूषित पानी से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे चिन्हित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्य–वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) प्रभावित आबादी का ब्यौरा क्या है और इस समय असम में खतरे और व्याप्ति कितनी है तथा ऐसे खतरों से मनुष्य और जानवरों की आबादी को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री भरतसिंह सोलंकी)

(क) तथा (ग) जी हाँ, अनुमत सीमा से अधिक मात्रा में आर्सेनिक युक्त पेयजल का लंबे समय तक सेवन करने से आर्सेनेकोसिस (केराटोसिस एवं/ अथवा मेलानोसिस) रोग हो सकता है। इसी प्रकार से, अनुमत सीमा से अधिक मात्रा में फ्लुओराइड युक्त पानी को लंबे समय तक पीने से दंत संबंधी, हड्डी संबंधी तथा गैर–अस्थि संबंधी फ्लुओरोसिस रोग हो सकता है। दिनांक 28.11.2013 की स्थिति के अनुसार, असम सहित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार, देश में आर्सेनिक एवं फ्लुओराइड युक्त जल से संदूषित जल गुणवत्ता प्रभावित ऐसी 16,674 ग्रामीण बसावटें थीं जिन्हें अभी भी स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा दिया जाना शेष था। प्रभावित जनसंख्या के साथ ही जल गुणवत्ता से प्रभावित ऐसी शेष बसावटों का दिनांक 28.11.2013 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ–राज्य–वार विवरण अनुलग्नक पर है। 28.11.2013 की स्थिति अनुसार, देश में ग्रामीण पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक और फ्लुओराइड की समस्याओं के कारण जोखिम पर कुल जनसंख्या 117.63 लाख है, जबकि असम राज्य में ऐसी समस्याओं से प्रभावित ग्रामीण जनसंख्या 1.57 लाख है।

ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। मंत्रालय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के अन्तर्गत इस संबंध में राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एनआरडीडब्लूपी निधियों के 67% तक का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एनआरडीडब्लूपी निधियों का 5% उन राज्यों हेतु चिन्हित एवं आबंटित किया गया है, जो पीने के पानी में रासायनिक संदूषण की समस्याओं से जूझ रहे हैं और जो जापानी इनसेफलाइटस एवं तीव्र इनसेफलाइटस सिंड्रोम से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिले हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, जल गुणवत्ता अनुवीक्षण एवं निगरानी हेतु राज्यों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर एनआरडीडब्लूपी निधियों का 3 प्रतिशत उपलब्ध कराती है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ नई प्रयोगशालाओं की स्थापना अथवा राज्य/जिला/उप–जिला स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने, प्रयोगशालाओं हेतु रसायन एवं प्रयोज्य वस्तुएँ उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय परीक्षण किटें/रिफिलें उपलब्ध कराना आदि से संबंधित कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को आबंटित की गई एनआरडीडब्लूपी निधियों के 10 प्रतिशत तक का उपयोग पेयजल स्त्रोतों की निरंतरता को बनाए रखने हेतु किया जा सकता है, जिसमें अन्य के साथ–साथ भू–जल का कृत्रिम तरीके से भण्डारण करना एवं अन्य पद्धतियाँ शामिल हैं, जिससे एक्वीफरों में संदूषण का स्तर कम हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, जल शोधन प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करने के साथ ही जल आपूर्ति स्कीमों के बारे में योजना बनाने, उनकी रूपरेखा तैयार करने, उनका अनुमोदन, कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण करने की शक्तियां पहले से ही राज्य सरकारों को दी गई है।

दिनांक 09.12.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 339 के भाग (क) से (ग) तक में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 28/11/2013 की स्थिति के अनुसार, राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या और आर्सेनिक और फ्लुओराइड से प्रभावित जनसंख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	आर्सेनिक		फ्लुओराइड	
		बसावटें	जनसंख्या	बसावटें	जनसंख्या
1	आंध्र प्रदेश	0	0	2103	2967706
2	बिहार	650	461399	1378	679003
3	छत्तीसगढ़	0	0	203	42903
4	गोवा	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	56	81793
6	हरियाणा	0	0	7	25735
7	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0
9	झारखण्ड	0	0	19	4849
10	कर्नाटक	13	18184	1359	1316606
11	केरल	0	0	106	214630
12	मध्य प्रदेश	0	0	1728	728443
13	महाराष्ट्र	0	0	367	874271
14	ओड़िसा	0	0	356	85702
15	पंजाब	0	0	2	1392
16	राजस्थान	0	0	6830	4180444
17	तमिलनाडु	0	0	8	2556
18	उत्तर प्रदेश	153	143250	272	213552
19	उत्तराखण्ड	0	0	3	10810
20	पश्चिम बंगाल	499	1470587	77	105864
21	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
22	असम	475	155088	10	2328
23	मणिपुर	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0
26	नागालैंड	0	0	0	0
27	सिक्किम	0	0	0	0
28	त्रिपुरा	0	0	0	0
29	अंडमान एवं निकोबार दीव	0	0	0	0
30	चंडीगढ	0	0	0	0
31	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0
32	दमन एवं दीव	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35	पुदुचेरी	0	0	0	0
	योग	**1790**	**2248508**	**14884**	**11538587**